

04/03/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपक्ष
अनुपस्थित, पत्रावली मनन कर पाया
गया कि दिनांक 26/9/2012 को वादी
को प्रतिवादी तलबी करवाने हेतु
कहा गया था परन्तु अदिनांक
प्रतिवादी की तलबी वादी द्वारा नहीं
करवाई गई। 10/2/2021 को भी वादी
अधिवक्ता को तामील करवाने हेतु
पुनः आदेशित किया गया था व कहा
गया था कि तामील के अभाव में पत्रावली
09 R 5 में खारिज की जायेगी परन्तु
फिर भी वादी द्वारा तामील पेश नहीं
की गई। वादी प्रतिवादी अधिवक्ता
को बार-बार आवज लगाई गई परन्तु
5:00 PM तक कोई पेश नहीं हुआ।
अतः बाद अदम हाजरी अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
दाखिल दवातर होकर दब रजिस्टर
में काम है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

